न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी— अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
75 / अपील / 19	09.10.2019	22.10.2020

भंवरलाल, प्रेमचंद, कमलेश आ0 जगदीश जाति मीणा नि0 रूघां का बाडा तहसील हिण्डोली

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से श्री सुनील गौत्तम एड0

रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2016 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट को भूमि खसरा सं. 99 रकबा 4 बीघा किस्म गै0मु0 बर्डा ग्राम नेत का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 160 रू. शास्ति तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन की पुष्टि में RBJ 2001 पेज 475, RBJ 2002 पेज 508 न्यायिकदृष्टांत प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि पर अतिचार किया है। वह बार—बार अतिचार करने का आदि है,जिसे पूर्व में बेदखल किया जा चुका था। अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा सं. 99 रकबा 4 बीघा किस्म गै0मु0 बर्डा पर अतिचार किया जाना प्रमाणित है। बयान पटवारी हल्का के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिचार किया

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

जिसको बेदखल कर दिया गया था। अपीलान्ट बार–बार भूमि पर अतिचार करने का आदि है,किन्तु फिर भी अपीलान्ट के प्रति न्यायहित को दृष्टिगत रखकर नरमी का रूख अपनाते हुए आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे तथा भूमि पर से कब्जा छोड़ दे तो अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश यथावत् रहेगा।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावें।

आदेश आज दिनांक 22.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बूंदी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)